राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005)
email- secraj@rajasthan.gov.in & secrajasthan@gmail.com, Ph./FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांकः प.1(2)(1)नपा–पंचा / सां.आ. / रानिआ / 14 / 3507 दिनांक : 25.8.14

आदेश

सां.आ. संख्या – 89 / 14 नगरपालिकाओं के ऐसे निर्वाचनों, जहां मत, मतदान मशीनों द्वारा डाले जायेंगे और रिकार्ड किए जायेंगे, के संबंध में राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 46–क के उप नियम (4) के द्वितीय परन्तुक के उपबन्धों के अनुसार यह प्रावधान है कि, प्रत्येक डाक मतपत्र के साथ प्रतिपर्ण संलग्न होगा और डाक मतपत्र और प्रतिपर्ण ऐसी डिजाईन में होगा जैसा राज्य निर्वाचन आयोग निर्देश दे।

अतः आयोग द्वारा आदेश क्रमांक प. 4(2)(1)नपा / रानिआ / 94 / 3155 दिनांक 09.11.1999 (सां.आ. संख्या 26 / 99) को अतिक्रमित करते हुए उक्त नियम 46–क के उप नियम (4) के द्वितीय परन्तुक के उपबन्धों के अनुसरण में राज्य निर्वाचन आयोग यह निर्देश देता है कि, ऐसे निर्वाचन, जहां मत, मतदान मशीन द्वारा दिए जायेंगे और रिकार्ड किए जायेंगे, में डाक मतपत्र तथा प्रतिपर्ण ऐसे डिजाईन में होगा जो नियम 34 के उप नियम (1) के उपबन्धों के अन्तर्गत राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा साधारण मतपत्रों व उनके संलग्न प्रतिपर्ण के लिये परिपत्र सं. एफ. 1(2)(1)नपा–पंचा / सां.आ. / रानिआ / 14 / 3142 दिनांक 5.8.2014 से प्रसारित सां.आ. 86 / 14 द्वारा विहित किया हुआ है, सिवाय इस बात के कि मतपत्र और उसके प्रतिपर्ण के पृष्ठ भाग पर शब्द ''डाक मतपत्र'' मुद्रांकित किया जायेगा।

आज्ञा से,

25/8/14

(सत्यप्रकाश बसवाला)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः प.1(2)(1)नपा–पंचा / सां.आ. / रानिआ / 14 / 3508-10 दिनांक : 25.8.14

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. समस्त जिला नगरपालिका निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर), राजस्थान।
2. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. समस्त रिटर्निंग अधिकारी (नगरपालिका) मार्फत जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) ।

संलग्न : राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर का पत्रांक एफ. 1(2)(1)नपा–पंचा / सां.आ. / रानिआ / 14 / 3142 दिनांक 05.8.2014 की प्रति।

25/8/2014

(अशोक कुमार जैन)
उप सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग,
राजस्थान, जयपुर